लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स श्री ऑटो, प्रस्तावक, श्री आशुतोष आनंद, पिता–श्री आनंद नारायण शर्मा, ग्राम–सलोना, जिला–लखीसराय के द्वारा किउल नदी ब्लॉक–12 बालू घाट, मौजा–गारौ नवादा, प्रखंड–जमुई, जिला–जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 27.06.2023 को पूर्वाहन् 11:00 बजे प्रखंड सभागार जमुई, जिला–जमुई** के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/2294/2023, दिनांक 16.02.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा–"द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना" एवं "हिन्दुस्तान", भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक **24.05.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा किउल नदी ब्लॉक–12 बालू घाट, मौजा–गारौ नवादा, प्रखंड–जमुई, जिला–जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री आशुतोष आनंद को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक– 12 में 9.43 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 116554.8 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹108.502 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या– 12 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए है।

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध–मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर–लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरुप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेष वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं--

क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री हरि सिंह, ग्राम--गारौ नवादा, जिला--जमुई के द्वारा मानक से अधिक खनन किये जाने तथा उससे नदी में गड्ढा बन जाने की शिकायत किया गया तथा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय की जानकारी मांगी गई।	पूर्व की परियोजना में 3 मीटर की गहराई तक खनन किये जाने का प्रावधान था जबकि प्रस्तावित परियोजना में अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक ही खनन किये जाने का अनुमति है। मानक से अधिक गहराई तक खनन की शिकायत जिला खनन पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन से किया जा सकता है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़क के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण तथा आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों पर नियमित रूप से जल छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी।
2.	श्री अजीत कुमार, ग्राम--बिहारी, जिला--जमुई के द्वारा बालू लदे गाड़ियों के आवागमन तथा गीला बालू ले जाने से सड़क क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किये जाने वाले व्यवस्था की जानकारी मांगी गई।	पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत प्रस्तावित 1,42,000/– रूपये आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों के मरम्मत के लिए खर्च किया जायेगा। गाड़ियों में सिर्फ सूखा रेत ही ले जाया जायेगा। गीला रेत का परिवहन नहीं किया जायेगा। बालू लदे गाड़ियों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा।
3.	श्री ललित कुमार यादव, ग्राम–सरारी, जिला--जमुई के द्वारा बालू लदे गाड़ियों के परिवहन से बच्चों के दुर्घटना की संभावना व्यक्त करते हुए इसके रोकथाम के लिए उपाय की जानकारी मांगी गई।	बालू लदे गाड़ियों को गांव के बाहर से रास्ता बनाकर ले जाया जायेगा। विद्यालय के खुलने एवं बंद होने के समय गाड़ियों का परिवहन नहीं कराया जायेगा।
4.	श्री मनीष कुमार, मौजा–गारौ नवादा, जिला--जमुई के द्वारा पूर्व की योजनाओं में सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आवंटित परियोजना लागत का 2% राशि खर्च नहीं किये जाने का शिकायत किया गया।	जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा सूचित किया गया कि पूर्व की परियोजना में आवंटित राशि से गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गयी है। शेष राशि के उपयोग के लिए उच्च अधिकारियों से बैठक कर तथा ग्रामीणों से विमर्श कर प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्य के लिए खर्च किया जायेगा।
5.	मो0 सद्दाम, ग्राम–चौडीहा, जिला–जमुई के द्वारा पुछा गया कि क्या बालू वितरण का कोई सरकारी रेट फिक्स है।	जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा सूचित किया गया कि उपभोक्ता के मांग के आधार पर बालू का रेट फिक्स किया जाता है।
6.	श्री प्रेम सागर, जमुई के द्वारा वृक्षारोपण नहीं किये जाने का शिकायत किया गया।	प्रस्तावित परियोजना में प्रति हेक्टेयर 10 वृक्ष, 95 की संख्या में वृक्ष लगाये जाने का प्रस्ताव है। सड़कों के किनारे लगाया जायेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत से विमर्श कर अन्य उपयुक्त स्थलों पर वृक्षारोपण किया जायेगा।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा सूचित किया गया कि बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

22-6-2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०पर्षद,
भागलपुर।

22/6/23
अपर समाहर्ता
जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्स श्री ऑटो, श्री आशुतोष आनंद, पिता-श्री आनंद नारायण शर्मा, पता-[illegible]ना, लखीसराय द्वारा जमुई किउल नदी ब्लॉक 12 बालू घाट, मौजा-गारो नवादा, ब्लॉक-जमुई, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 27.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे लोक सुनवाई का स्थलः प्रखंड सभागार जमुई, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ram Dulal Ram	Adm (PGR) cum DPGRO Jamui	27/6/23
2.	Shambhu Nath Jha	Regional Officer Bhagalpur Bihar State Poll. Cont. Board	Jha 27-6-23
3.	श्यामल साह	रविनगर विकास पुस्तकालय जमुई	[signature] 27/06/2023
4.	Spriha	mines inspector	27/06/2023
5.	Amesh Kumar	Asst. Scientific Officer BSPCB, Bhagalpur	27/06/2023
6.	Rajesh Kumar Vishwas	Environment Consultant PGM Solution (Noida)	Rajesh
7.	Ashutosh Anand	Applicant	Ashutosh Anand
8.	Md Shamim	BSPCB Patna	Shami
9.	Mohan Kumar	Garo Nawada	Mohan
10.	Mahavir Gupta	Garo Nawada	[thumb impression]

11.	Rupesh Kumar	Garo Nawada	
12.	Vikash Kumar	Garo Nawada	
13.	Guddu Kumar	Garo Nawada	Guddu Kumar.
14.	Darogi Yadav	Garo Nawada	
15.	विनोद राम	Jamui	विनोद राम
16.	नवीन कुमार	Jamui	नवीन कुमार
17.	भवानी मिस्त्री	Jamui	भवानी मिस्त्री
18.	Rupesh Thakur	Garo Nawada	Rupesh
19.	SANTOSH KUMAR SHAW	Vill - Chandika Thana - Jamui	Santosh Kr. Shaw
20.	Bhurelal Yadav	Jamui	
21.	Dolao Mahto	Jamui	
22.	Mohammad Saddam	Jamui	Mohd Saddam
23.	बबुजन मांझी		बबुजन मांझी
24.	धर्मेन्द्र यादव	गारो नवादा	धर्मेन्द्र यादव
25.	दिलीप यादव	गारो नवादा	दिलीप यादव

26.	ललन कुमार	गारो नवादा	ललन कुमार
27.	योगेन्द्र कुमार	गारो नवादा	योगेन्द्र कुमार
28.	बिनोद कुमार	गारो नवादा	Binod Kum
29.	अवधेश कुमार यादव	गारो नवादा	अवधेश कुमार यादव
30.	Ashutosh Anand	Tannisurai	Ashutosh And
31.	Malti Devi	गारो नवादा	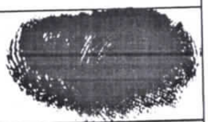
32.	Manju Devi	गारो नवादा	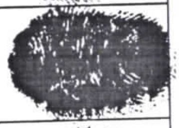
33.	Malo Devi	गारो नवादा	
34.	Manan Kum	Garo nawada	Mu
35.	Gani Shah	Jami	Gani
36.	सुदाम	जमुई	सुदाम
37.	मिनीशा	जमुई	मिनीशा
38.	रंजीत कुमार	जमुई	रंजीत
39.	मुकेश कुमार यादव	लोका	मुकेश कुमार यादव
40.	राजनीति यादव	जमुई	राजनीति यादव

41.	Chandan kumar	Ghodle Nabada	Chandan kumar
42.	Prem Sagar	Garo Nawada	[illegible]
43.	[illegible]	Garo Nawada	[illegible]
44.	pankaj kumar	LKHISARA,	[illegible]
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			